न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 137/2022 राजस्व अपील

1. रामखिलाडी पुत्र गंगाधर
2. रामरूप पुत्र श्रीया
3. गिर्राज पुत्र श्रीया
4. हरिमन पुत्र रामेत
5. देवनारायण पुत्र रेवड

समस्त जाति गुर्जर निवासी मोरोली तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध निर्णय उपतहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 25.01.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामखिलाडी वगैरा मुकदमा संख्या 38/2021 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री चन्द्रमोहन जोशी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 02.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मोहचिंगपुरा तहसील बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की गई की ग्राम मोरोली तहसील बहरावण्डा में स्थित खसरा नम्बर 580 रकबा 13.38 है. किस्म गैर मुमकिन बांध की भूमि पर अपीलान्ट्स ने अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा ने एल. आर. एक्ट की धारा 91 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्णय दिनांक 25.01.2022 पारित कर अपीलान्ट्स को तीन माह के सिविल कारावास, बेदखली व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त निर्णय दिनांक 25.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का ने झूंठे तथ्यों के आधार पर बांध की भूमि पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट दी है। जिस पर तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा गलत एवं विधि के सिद्धान्त के विपरीत निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स को तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा धारा 91 एल आर के नोटिस दिये जाने पर अपीलान्ट्स ने प्रस्तुत होकर मौखिक रूप से जवाब दिया था। जिसमें कहा गया था कि अपीलान्ट्स का उक्त बांध की भूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। उसके बावजूद भी अपीलान्ट्स को सजा व जुर्माने से दण्डित कर दिया गया है। अपीलान्ट्स की ओर से इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम मोरोली तहसील बहरावण्डा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 580 किस्म गैर मुमकिन बांध पर से अपीलान्ट्स शपथकर्ता ने अपना अतिक्रमण हटा लिया है। अपीलान्ट्स शपथकर्ता भविष्य में भी उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण, कब्जा नहीं करेगा। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स ने ग्राम मोरोली में स्थित गैर मुमकिन बांध की भूमि खसरा नम्बर 580 रकबा 0.80 है. पर गेहूं की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलान्ट्स को तीन माह के सिविल कारावास की सजा, बेदखली व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स का राजकीय भूमि किस्म गैर मुमकिन बांध पर अतिक्रमण किया जाना व्यक्त करते हुये राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट्स खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम मोरोली स्थित राजकीय भूमि किस्म गैर मुमकिन बांध खसरा नम्बर 580 पर से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया जाना एवं भविष्य में उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम मोरोली में स्थित राजकीय भूमि किस्म गैर मुमकिन बांध खसरा नम्बर 580 पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.01.2022 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 25.01.2022 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 02.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा